



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2014/पौष 27, 1935

No. 24]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2014/PAUSHA 27, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 31(अ). — केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खोजबीन समिति के गठन से संबंधित निबंधन और शर्तें तथा लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा विचार करने के लिए नामों के पैनल निकालने की रीति का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खोजबीन समिति (लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल के चयन की रीति और सदस्यों की नियुक्ति के गठन, निबंधन और शर्तें) नियम, 2014 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- परिभाषाएं** - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
(क) “अधिनियम” से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) अभिप्रेत है ;
(ख) “सदस्य” से चयन समिति का सदस्य अभिप्रेत है ;
(ग) “खोजबीन समिति” से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट खोजबीन समिति अभिप्रेत है ;
(घ) “चयन समिति” से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट चयन समिति अभिप्रेत है ;
- खोजबीन समिति का गठन** — (1) चयन समिति खोजबीन समिति का गठन करेगी, जो अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के क्षेत्रों और प्रवर्गों से आठ व्यक्तियों से मिलकर बनेगी ।
(2) चयन समिति एक सदस्य को खोजबीन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी ।
(3) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, खोजबीन समिति के संयोजक के रूप में कृत्य करेगा ।
- खोजबीन समिति की कार्यावधि** — खोजबीन समिति का कोई सदस्य, जिसके अंतर्गत इसका अध्यक्ष भी है, अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की कार्यावधि के लिए पदधारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु चयन समिति, जहां उसका यह मत है कि खोजबीन समिति के किसी सदस्य का जारी रहना लोकहित में समीचीन नहीं है, वह उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसकी कार्यावधि की समाप्ति से पहले ऐसे सदस्य को हटा सकेगी।

5. सदस्यों का त्यागपत्र — कोई सदस्य चयन समिति के अध्यक्ष को संबोधित किसी पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा।

6. भारत से बाहर सदस्यों की अनुपस्थिति — यदि कोई सदस्य छह मास से अधिक की किसी लगातार अवधि के लिए भारत से अनुपस्थित होने का आशय रखता है तो वह अपना त्यागपत्र देगा।

7. खोजबीन समिति की बैठकें — (1) खोजबीन समिति की बैठकें नई दिल्ली या ऐसे स्थान पर होगी जो खोजबीन समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(2) बैठक की सूचना ऐसी रीति में जारी की जाएगी जिससे वह अध्यक्ष और सदस्यों तक कम से कम तीन दिन अग्रिम में पहुंच जाए।

8. बैठकों की प्रक्रिया — (1) खोजबीन समिति का अध्यक्ष खोजबीन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परंतु यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो खोजबीन समिति के सदस्य उपस्थित सदस्यों में से बैठक की अध्यक्षता के लिए किसी सदस्य का चयन कर सकेंगे।

(2) खोजबीन समिति के सदस्यों में मतभिन्नता की दशा में, विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा मतदान से विनिश्चित होगा।

(3) खोजबीन समिति के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और खोजबीन समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों की समानता की दशा में अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य अपना निर्णायक मत देगा।

9. बैठकों में उपस्थिति के लिए फीस और यात्रा भत्ता — (1) खोजबीन समिति का गैर पदेन सदस्य खोजबीन समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए प्रत्येक दिन के लिए तीन हजार पांच सौ रुपए बैठक फीस के लिए हकदार होगा।

(2) खोजबीन समिति का कोई गैर पदेन सदस्य खोजबीन समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

10. खोजबीन समिति द्वारा नामों के पैनल का तैयार किया जाना — (1) खोजबीन समिति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यक्तियों की सूची में से लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा विचार करने के लिए व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, —

(i) उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों, राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों और मंत्रालयों के सचिवों से पात्र उम्मीदवारों का नामनिर्देशन मंगाने के लिए रिक्तियों को परिचालित करेगी

(ii) पात्र उम्मीदवारों से सीधे आवेदन आमंत्रित करने के लिए रिक्तियों को विज्ञापित करेगी :

परंतु सीधे आवेदन करने वाले आवेदकों की दशा में, आवेदक किसी ऐसे विख्यात व्यक्ति से, जो सतर्कता से सहबद्ध रहा हो या भ्रष्टाचार निरोधी मुद्दों से संबंधित हो, एक सिफारिश का पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(3) खोजबीन समिति व्यक्तियों को छानने के प्रयोजन के लिए ऐसे संनियमों को अंगीकार कर सकेगी जो उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट मानदंड से निम्न नहीं होंगे।

(4) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन आने वाले व्यक्तियों की दशा में, —

(i) भ्रष्टाचार निरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता या विधि से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान और 25 वर्ष से अन्यून का अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जो अनिवार्य रूप से भारत सरकार के सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद के समतुल्य पद धारण कर रहे हों ;

(ii) वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा तथा बैंकिंग और प्रबंधन भी हैं, से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान और 25 वर्ष से अन्यून का अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति तथा जिसने किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या समतुल्य प्रास्थिति की सुसंगत निजी संस्था में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद धारण किया हो या पद धारण कर रहा हो, और

जिसने पूर्वोक्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हों या ख्याति अर्जित की हो :

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट निजी संस्था में कोई पद धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में, ऐसे व्यक्ति पर, विश्वास का या लाभ का कोई पद धारण करने के संबंध में या कोई कारबार करने या कोई व्यवसाय करने के संबंध में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए रजामंदी की घोषणा प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए विचार किया जाएगा।

(5) खोजबीन समिति, पेनलीकरण के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का मूल्यांकन करने के लिए स्वयं की प्रक्रिया बना सकेगी या मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगी ।

11. चयन समिति को नाम के पैनल या पैनलों का प्रस्तुत किया जाना— (1) खोजबीन समिति केन्द्रीय सरकार से नियम 10 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट पात्र उम्मीदवारों और अन्य आवेदकों की सूची की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर, चयन समिति के विचार के लिए, यथास्थिति, नाम के पैनल या पैनलों को प्रस्तुत करेगी ।

(2) खोजबीन समिति, चयन समिति के विचार के लिए निम्नलिखित की सिफारिश करेगी,—

(क) लोकपाल के अध्यक्ष की दशा में, कम से कम पांच नामों के पैनल की ; और

(ख) लोकपाल के सदस्यों की दशा में, ऐसे पैनल की जिसमें विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से कम से कम तीन गुणा नाम अंतर्विष्ट हों ।

(3) खोजबीन समिति सिफारिश किए जाने के लिए नामों के पैनल का चयन करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में सम्यक् ध्यान रखेगी ।

12. वह अवधि जिसके लिए पैनल वैध होगा- (1) चयन समिति के विचार के लिए खोजबीन समिति द्वारा विज्ञापित रिक्तियों का तैयार किया गया पैनल चयन समिति को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष या यथास्थिति सदस्य या सदस्यों की नियुक्ति किए जाने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, वैध होगा ।

(2) यदि लोकपाल में कोई नई रिक्ति उद्भूत होती है तो उसे नियम 10 के अधीन खोजबीन समिति द्वारा तैयार किए गए पात्र उम्मीदवारों के पैनल में से भरा जाएगा ।

13. अवशिष्ट मामले- चयन समिति के सदस्यों से संबंधित अन्य भत्तों के संबंध में, अवशिष्ट मामले जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, ऐसे नियमों से शासित होंगे जो भारत सरकार के सचिव को लागू होते हैं ।

[फा.सं. 407/02/2014-एवीडी-IV (बी)]

दीप्ति उमाशंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2014

G.S.R. 31(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 59 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules to provide for the terms and conditions relating to constitution of the Search Committee and the manner of drawing panel of names for consideration of the Selection Committee for appointment of Chairperson and Members of the Lokpal, namely:-

- 1. Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Search Committee (Constitution, Terms and Conditions of appointment of members and the manner of selection of Panel of Names for appointment of Chairperson and Members of Lokpal) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, -
(a) “Act” means the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014);
(b) “member” means a member of the Search Committee;
(c) “Search Committee” means the Search Committee referred to in sub-section (3) of section 4 of the Act;
(d) “Selection Committee” means the Selection Committee specified in sub-section (1) of section 4 of the Act.
- 3. Constitution of Search Committee.** — (1) The Selection Committee shall constitute the Search Committee consisting of eight persons from the fields and the categories of persons specified in sub-section (3) of section 4 of the Act.
(2) The Selection Committee shall nominate one of the members as the chairperson of the Search Committee.
(3) The Secretary to the Government of India in the Department of Personnel and Training shall function as the convener of the Search Committee.
- 4. Term of the Search Committee.** — A member of the Search Committee, including its chairperson, shall hold office for a period of two years from the date of his appointment and shall be eligible for re-appointment:

Provided that the Selection Committee may, where it is of the view that the continuance of a member of the Search Committee is not expedient in the public interest, it may, after giving him an opportunity of being heard, remove such member before the expiry of his term.

5. **Resignation of members.** — A member may resign his office by a letter addressed to the chairperson of the Selection Committee.
6. **Absence of members out of India.** — If a member intends to be absent from India for a continuous period exceeding six months, he shall tender his resignation.
7. **Meetings of Search Committee.**- (1) The Search Committee shall hold its meetings at New Delhi or at such place as may be decided by the chairperson of the Search Committee.
(2) The notice for meeting shall be issued in such manner so as to reach the chairperson and members at least three days in advance.
8. **Procedure at meetings.** — (1) The chairperson of the Search Committee shall preside over the meetings of the Search Committee:

Provided that if the chairperson is not present, the members of the Search Committee may elect a person from amongst the members present to preside over the meeting.

- (2) In case of a difference of opinion amongst the members of the Search Committee, the matter shall be decided by the majority of the members present and voting.
- (3) Each member of the Search Committee shall have one vote, and in case of equality of votes on any question to be decided by the Search Committee, the chairperson or the member presiding over the meeting shall have a casting vote.
9. **Fees and travelling allowance for attendance at meetings.** — (1) A non-official member of the Search Committee shall be entitled to a sitting fee of three thousand five hundred rupees for each day, for attending the meetings of the Search Committee.
(2) A non-official member of the Search Committee shall be entitled to Travelling Allowance and Daily Allowance as are admissible to a Secretary to the Government of India for attending the meetings of the Search Committee.
10. **Preparation of panel of names by Search Committee.** — (1) The Search Committee shall prepare a panel of persons to be considered by the Selection Committee for appointment as the Chairperson and Members of the Lokpal, from amongst the list of persons provided by the Central Government in the Department of Personnel and Training.

(2) The Central Government shall for the purposes of sub-rule (1),—

- (i) circulate the vacancies to the Registrar of the Supreme Court and Registrars of High Courts, Chief Secretaries of the State Governments and Secretaries in the Departments and Ministries of the Central Government calling for nomination of eligible candidates; and
- (ii) advertise the vacancies to directly invite applications from the eligible candidates:

Provided that in case of applicants applying directly, the applicants shall furnish a letter of recommendation from one eminent person who is or has been associated with vigilance or dealing with anti-corruption issues.

- (3) The Search Committee may, for the purpose of short-listing of persons, adopt such short-listing norms, which shall not be less than the criteria specified in sub-rule (4).
- (4) In case of persons falling under clause (b) of sub-section (3) of section 3 of the Act, such persons having special knowledge and expertise of not less than twenty-five years in matters relating to,-
(i) anti-corruption policy, public administration, vigilance or law and such persons must have held or must be holding the post of Secretary to the Government of India or any equivalent post thereto under the Central Government or a State Government;
(ii) finance including insurance and banking, and management and such persons must have held or must be holding the position of Chairman, Managing Director or Chief Executive Officer of a Public Sector Undertaking or of a relevant private institution of comparable status, and
who have attained outstanding achievements or acquired eminence in the fields aforesaid:

Provided that in case of a person holding the position in a private institution referred to in sub-clause (ii), the consideration of such person shall be subject to his furnishing a declaration about his willingness to comply with the requirements of sub-section (4) of section 3 of the Act as regards holding of any office of trust or profit or carrying on any business or practising any profession.

- (5) The Search Committee may devise its own procedure or lay down guidelines for evaluating persons for the purpose of empanelment.
11. **Submission of panel or panels of names to Selection Committee.**- (1) The Search Committee shall submit the panel or panels of names, as the case may be, for consideration of the Selection Committee within a period not exceeding thirty days from the date of receipt of the list of eligible candidates and other applicants referred to in sub-rule (2) of rule 10 from the Central Government.
(2) The Search Committee shall recommend, —
(a) in case of Chairperson of Lokpal, a panel of at least five names; and

(b) in case of Members of Lokpal, a panel containing at least three times the number of vacancies advertised,

for the consideration of the Selection Committee.

(3) While selecting the panel of names to be recommended, the Search Committee shall have due regard to the representation of the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities and women in accordance with the proviso to clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Act.

12. Period for which panel shall be valid. — A panel prepared by the Search Committee for consideration of the Selection Committee for the vacancies advertised, shall remain valid for a period of one year from the date of its submission to the Selection Committee or till the appointment of the Chairperson or as the case may be the Member or Members, is made, whichever is earlier.

(2) If any fresh vacancy arises in the Lokpal, it shall be filled up from a panel of eligible candidates prepared by the Search Committee under rule 10.

13. Residuary matters. — Any residuary matters relating to members of the Search Committee, with respect to any other allowances for which no express provision has been made in these rules, shall be governed by such rules as are applicable to the Secretary to the Government of India.

[F. No. 407/02/2014-AVD-IV(B)]

DEEPTI UMASHANKAR, Jt. Secy.